

राजस्थान-सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राज.
“कर-भवन”, अजमेर

कमांक: एफ-7(507)परिपत्र/13/ 6696-6708

दिनांक: 30.7.13


अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक),
जयपुर

समस्त उप महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक),
राजस्थान

--:परिपत्र::--

विभाग के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के विरुद्ध मॉनिटरिंग कमेटी में बैठक दिनांक 08.07.13 को शासन सचिव वित्त (राजस्व), जयपुर ने कलक्टर (मुद्रांक); अजमेर द्वारा मुद्रांक प्रकरण संख्या 68/04 उप पंजीयक, टैंक बनाम श्री विनोद खटोड़ व अन्य का निर्णय साइक्लोस्टाइल फॉर्म में पारित करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसी पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं होने के निर्देश दिये हैं।

अतः इस क्रम में निर्देश दिये जाते हैं कि मुद्रांक प्रकरणों के निर्णय किसी भी अवस्था में साइक्लोस्टाइल फॉर्म में पारित नहीं किये जाकर राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 65 की पूर्ण पालना कर सम्पूर्ण तथ्य/उद्धरण, मौका निरीक्षण रिपोर्ट आदि का निर्णय में विस्तृत विवरण देते हुवे आदेश पारित किये जावे।



महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

कमांक: एफ-7(507)विधि/न्याय वेब/13/ 6709-7059

दिनांक: 30.7.13

संयुक्त प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. वित्त सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर को बैठक दिनांक 08.07.13 में दिये निर्देशों की पालना में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. शासन सचिव (राजस्व) वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
5. महालेखाकार, लेखापरीक्षा-II, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त रजिस्ट्रार, (न्यायाधीशों का पुस्तकालय) उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली। (पांच प्रतियों में)
7. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
8. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
11. लेखाधिकारी, मुख्यालय, अजमेर।
12. उप/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय-अजमेर।
13. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
14. समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
15. समस्त उप पंजीयकगण, राजस्थान।
16. नलिन जी. नारायण डिप्टी काउंसिल राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर
17. श्री के.के. बिस्सा, राजकीय अभिभाषक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
18. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ।
19. ए.सी.पी., मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
20. प्रोबामर, मुख्यालय, अजमेर।
21. समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
22. निजी-सचिव, महानिरीक्षक/निजी-सहायक, अतिरिक्त महानिरीक्षक।
23. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।


उप विधि परामर्शी
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर